

दोष 4311/12015 08-2-18 को
पेश हो।

08-1-18

वकील वादी उपण वादी द्वारा प्रतिवादीगण
की तलबी हेतु समन पेश नहीं किये हैं
पेश होने पर समन रजिस्टर्ड लिफाफे
के साथ जारी होकर प्रजावली दिनांक
31-1-18 को पेश हो।

31-1-18

वकील वादी उपण वादी द्वारा प्रतिवादीगण
की तलबी हेतु समन पेश नहीं किये
हैं। पेश होने पर समन रजिस्टर्ड
लिफाफे के साथ जारी होकर प्रजावली
दिनांक 15-2-18 को पेश हो।

15-2-18

वकील वादी उपण प्रतिवादी से।
च 2 के वकील उपस्थित। वकील
वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 CPC
का प्रार्थना पत्र पेश कर नया वाद
पेश करने की अनुमति के साथ
दावा विद्वा करने की प्रार्थना की।
वकील प्रतिवादी को कोई खेतराज
नहीं है। ऐसी स्थिति में दरखास्त
स्वीकार कर नया वाद पेश करने
की अनुमति के साथ दावा विद्वा
करने की अनुमति दी जाती है। प्रजावली
प्रेसलाभमार होकर वाद तकमील जावला
दारिबल दफतर हो।

(असपाल आहवा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर